रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032021-225972 CG-DL-E-18032021-225972

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141] No. 141] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 2021/फाल्गुन 25, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 2021/PHALGUNA 25, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2021

सा.का.िन. 190(अ).—मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 59(4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने का प्रस्ताव करती है, के निम्नलिखित प्रारूप कितपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के बारे में आक्षेपों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (परिवहन), comments-morth@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, 1 परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 कोभेजे जा सकेंगे।

1635 GI/2021 (1)

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 59 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, जैसे: -

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन नियमों को मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 कहा जा सकता है।

(2) वे आधिकारिक राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे

2. अनुप्रयोग

ये प्रावधान पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) की स्थापना, प्राधिकरण और परिचालन के लिए प्रिक्रियाओं को निर्धारित करेगा। ये सभी वाहनों और उनके अंतिम पंजीकृत मालिकों, ऑटोमोबाइल संग्रहण केंद्रों, ऑटोमोटिव विखंडन, स्क्रेपिंग और रिसाइकलिंग सुविधाओं एवं सभी प्रकार के ऑटोमोटिव अपशिष्ट उत्पादों के रिसाइकल करने वालों पर लागू होगा।

3. परिभाषाएँ : -

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- क. "अधिनियम" का तात्पर्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 है।
- ख. "पंजीकृत स्क्रैपर" से अभिप्रेत है कि कोई व्यक्ति, फर्म, संस्था, ट्रस्ट या ऐसी कंपनी जो कोई पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (यहा इसके बाद इसे "आरवीएसएफ" के रूप में जाना जाएगा) का मालिक हो और इसे संचालित करता हो।
- ग. "पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा (आरवीएसएफ)" से अभिप्रेत है कि किसी स्थापना जो 'वाहन स्क्रेपिंग के लिए एक पंजीकरण' रखता है, जिसे इस अध्याय के तहत विखंडन और स्क्रैपिंग कार्य के लिए जारी किया गया है।
- घ. "सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट" से अभिप्रेत है कि आगे के ट्रिटमेंट के लिए पंजीकृत मालिक से पंजीकृत स्क्रेपर को वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण को मान्यता प्रदान करने के लिए आरवीएसएफ द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- ङ. "वाहन स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र" से अभिप्रेत है कि किसी आरवीएसएफ के द्वारा जारी प्रमाण पत्र किसी वाहन को अंतिम रूप से निस्तारण को मान्यता प्रदान करना।
- च. "ऐंड ऑफ लाइफ वाहन (ईएलवी)" का संदर्भ उन सभी वाहनों से हैं जो अब वैध रूप से पंजीकृत नहीं रह गए हैं; अथवा जिन्हें स्वचालित फिटनेस केंद्रों के माध्यम से अयोग्य घोषित किया गया; अथवा जिनका पंजीकरण इस अधिनियम के अध्याय IV के अंतर्गत अथवा किसी न्यायिक आदेश के कारण; अथवा विधि सम्मत पंजीकृत वाहन मालिक द्वारा किसी भी परिस्थिति आग, क्षति, प्राकृतिक

आपदा, दंगों या दुर्घटना इत्यादि के कारण खराब वाहन के रूप में स्व-घोषित किया गया हो, के अंतर्गत रद्द किया गया हो;

- छ. "अंतिम निस्तारण" का संदर्भ वाहन का इस प्रकार प्रशोधन करना है जिससे कि वाहन अब इस रूप में उपयोग करने में सक्षम न हो, जिसके लिए सीपीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार चेसिस का कट आउट और इसके इंजन का निपटान कासाक्ष्य रखना है।
- ज. "पंजीकरण प्राधिकरण" से अभिप्रेत है कि आयुक्त (परिवहन) या इस उद्देश्य के लिए राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी।
- झ. "रिसाइकलिंग" से अभिप्रेत है कि मूल उद्देश्य के लिए या अन्य उद्देश्यों के लिए अपशिष्ट पदार्थों की उत्पादन प्रक्रिया में पुनर्संक्रमण लेकिन ऊर्जा की वसूली को छोड़कर।
- ञ. "ऐंड ऑफ लाइफ के पंजीकृत मालिक" से अभिप्रेत है:
 - i. वह व्यक्ति जिसके नाम पर वाहन औपचारिक रूप से नेशनल रजिस्टर फॉर व्हीकल्स (वाहन) या राज्य / राज्य परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में पंजीकृत है; या
 - ii. दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित ऐसे व्यक्ति के अधिकृत प्रतिनिधि; या
 - iii. कोई व्यक्ति जिसे सीएमवीआर के नियम 57 के अनुसार किसी सार्वजनिक नीलामी में वाहन का स्वामित्व मिल गया हो;
 - iv. कोई व्यक्ति जिसे सीएमवीआर के नियम 56 के अनुरूप वाहन विरासत में मिला हो; या
 - v. किसी मोटर वाहन के संबंध में, जो उस अनुबंध के तहत वाहन के कब्जे वाले व्यक्ति को किराए पर लेने, समझौते, या पट्टे के समझौते या हाइपोथीकेशन के समझौते का विषय है;
- ट. "नियम" से अभिप्रेत है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) और राज्य विशिष्ट मोटर वाहन विनियमन (राज्य एमवीआर)।
- ठ. "स्क्रैपिंग" से अभिप्रेत है, 'ईएलवी' की प्राप्ति और रिकॉर्ड से पूरी प्रक्रिया जिसमें डिपॉल्यूटिंग, निस्तारण, सामग्री का अलगाव, गैर-पुन: प्रयोज्य भागों का सुरक्षित निपटान और मोटर वाहन के पंजीकृत मालिक को 'वाहन स्क्रैपिंग का प्रमाण पत्र' जारी करना शामिल है।
- ड. "स्क्रैपिंग यार्ड" से अभिप्रेत है, आरएसएफ के परिसर के भीतर निर्धारित स्थान, जहां विखंडित वाहन भागों को रिसाइकलिंग सहित आगे के सुधार के लिए संसाधित किया जाता है।
- ढ. "प्रशोधन" से अभिप्रेत है, ऐंड ऑफ व्हीकल लाइफ के बाद किसी भी गतिविधि को आरडब्ल्यूएफ के संग्रहण केंद्र में डिपॉल्यूशन, निस्तारण, सियरिंग, कर्तन, काटे हुए रद्दी के निस्तारण के लिए तैयारी रिकवरी अथवा निस्तारण के लिए तैयार करना और या ऐंड ऑफ लाइफ व्हीकल के और इसके घटकों की रिकवरी के लिए कोई अन्य कार्य किया गया हो;
- ण. "वाहन" से अभिप्रेत कोई मोटर वाहन जैसा कि इसे अधिनियम में परिभाषित किया गया हो;

4. आरवीएसएफ की शक्तियां और दायित्व

- (1) आरवीएसएफ को पासवर्ड संरक्षित प्रयोक्ता आईडी के साथ वाहन पंजीकरण के वाहन डेटाबेस तक कनेक्टिविटी और पहुंच प्रदान की जाएगी और वाहन के स्क्रैपिंग और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ स्कैपिंग जारी करने से संबंधित उपयुक्त प्रविष्टियां करने के लिए सीधे या उनके संग्रहण केंद्रों के माध्यम से अधिकृत किया जाएगा।
- (2) आरवीएसएफ के पास वाहन डेटाबेस तक सुरक्षित पहुँच के लिए आईटी सिस्टम हेतु आवश्यक साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- (3) आरवीएसएफ को स्थानीय पुलिस के साथ एनसीआरबी द्वारा रखे गए चुराए वाहनों के डेटाबेस के साथ स्क्रैपिंग के लिए उत्पादित वाहनों के रिकॉर्ड को सत्यापित करने के लिए आवश्यक कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। वाहन को स्क्रैप करने से पहले आरवीएसएफ की ओर से इस तरह का सत्यापन करना अनिवार्य होगा।
- (4) आरवीएसएफ वाहन मालिक को सौंपने वाले व्यक्तियों का सत्यापन करने के लिए वाहन मालिक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के प्रामाणिक होना निर्धारित करने और 6 महीने की न्यूनतम अवधि के लिए रिकॉर्ड की एक प्रति बनाए रखने का कार्य करेगा।

5. आरवीएसएफ के लिए पात्रता की शर्तें

राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश सरकार खंड 6 के तहत आवेदन करने वाले किसी भी आरवीएसएफ को प्राधिकरण प्रदान करते समय नीचे दी गई पात्रता मानदंडों को ध्यान में रखेगी :

- क. आरवीएसएफ किसी भी कानूनी इकाई द्वारा स्वामित्व और संचालित किया जा सकता है, यह लागू कानूनों के अनुसार स्थापित एक व्यक्ति, फर्म, संस्था या ट्रस्ट हो।
- ख. इकाई में निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए: -
- (i) निगमन का प्रमाण पत्र
- (ii) वैध जीएसटी पंजीकरण
- (iii) वैध पैन
- ग. इसके अतिरिक्त, इकाई: -
- (i) ने राज्य अथवा संघ राज्य सरकार जहां आरवीएसएफ स्थापित करने का इरादा हो, के सक्षम प्राधिकारी से इसकी स्थापना के लिए सहमति हेतु अनुमोदन लिया हो अथवा इसके लिए आवेदन किया हो।
- (ii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार संग्रहण और निस्तारण केंद्रों के लिए न्यूनतम तकनीकी आवश्यकता को पूरा करती हो।

- (iii) के पास एक सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार तरीके से डिपॉल्यूशन और निस्तारण गतिविधियों को करने के लिए सक्षम जनशक्ति और उपयुक्त उपकरण होना चाहिए।
- (iv)परिचालन शुरू होने के 12 महीनों के भीतर आईएसओ 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) / आईएसओ 14001 (पर्यावरण प्रमाणीकरण) / आईएसओ 45001 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा) के आवश्यक गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने का कार्य करेगा।
- (v) के पास होना चाहिए अथवा इसे प्राप्त करने के लिए अंडरटेकिंग प्रदान करना,राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इसे चलाने के लिए सहमति, जो कार्य करने के शुरूआत से छह महीने की अवधि के भीतर का हो।
- (vi) को सभी अनुप्रयोज्य श्रम कानूनों और यथा अनुप्रयोज्य अन्य सभी अधिनियमों / नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए अनुपालन करना चाहिए।
- (vii) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के ऑरेंज श्रेणी के औद्योगिक क्षेत्र में भूमि के पर्याप्त उपयोग योग्य क्षेत्रफल की उपलब्धता, स्वामित्वया बेचने के समझौते या न्यूनतम तीन वर्ष की अविध के लिए पट्टे के जिए का प्रमाण प्रदान करेगी।
- (viii) के पास खंड 4 (2) के अनुसार आवश्यक साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- (ix) अनुमोदित प्लांट लेआउट और बिल्डिंग प्लान प्रदान करना चाहिए।

6. आरवीएसएफ के लिए पंजीकरण प्रक्रिया

- (1) आवेदक निर्धारित फार्म 1, या किसी अन्य रूप में जैसा कि राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश सरकार के मान्यताप्राप्त पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो और जो उस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को संबोधित हो, जहां आरवीएसएफ स्थापित किया जाना है, के साथ:
- (i) स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रत्येक आरवीएसएफ के लिए 1,00,000 / रुपये (एक लाख केवल) की प्रोसेसिंग फी, अथवा ऐसी फी जो इस उद्देश्य के लिए राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो।
- (ii) स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रत्येक आरवीएसएफ के लिए 10,00,000 / (दस लाख रुपये) की बैंक गारंटी के रूप में एक बयाना राशि जोराज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अधिकृत पंजीकरण प्राधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी के पक्ष में हो और एक अवधि के लिए ब्याज रहित प्रतिभूति जमा, जो प्रारंभिक प्राधिकार की अवधि, प्लस 90 दिन के वैधता के साथ सह-समाप्य हो।
- (2) पंजीकरण की स्वीकृति के लिए सभी आवेदन पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा आवेदन की तारीख से 60 दिनों की अविध के भीतर निपटाए जाने हैं।
- (3) आवेदक, जिसे स्वीकार कर लिया जाता है, को फॉर्म-1ए, अथवा ऐसा अन्य फॉर्म जो इस उद्देश्य के लिए राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

- (4) उन आवेदनकर्ताओं जिनके आवदेन रद्द कर दिए जाते हैं, उन्हें उनका बयाना राशि / बैंक गारंटी वापिस कर दिया जाएगा, हालांकि, प्रोसेसिंग फी वापिस नहीं किया जाएगा।
- (5) राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश सरकार स्थायित्व, पर्याप्त क्षमता और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सुविधा के लिए अतिरिक्त पात्रता आवश्यकताओं को अधिसूचित कर सकते हैं।
- (6) भारत सरकार सिंगल विंडो क्लीयरेंस जिस पर आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों और पंजीकरण के लिए आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन करेगा, के लिए एक पोर्टल का विकास करेगी। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार विभिन्न एजेसिंयों (श्रम, प्रदूषण इत्यादि) से आंतरिक अनुमोदन सहित 60 दिनों के भीतर निर्धारित समय में प्रस्ताव को पास करेगी, ऐसे प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के बाद ही प्रस्ताव को अनुमोदित समझा जाएगा। ऐसे पोर्टल को इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से 6 माह के भीतर संचालित किया जाएगा।
- (7) खंड 6 में संदर्भित पोर्टल के संचालन के पश्चात सभी उत्तरवर्ती अनुमोदनों इत्यादि को पोर्टल के माध्यम से मंजूरी दी जानी चाहिए और आरवीएसएफ की जांच और लेखा परीक्षा संबंधी रिपोर्टें पोर्टल पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसे आरवीएसएफ की स्थापना/संचालन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम विभाग और यथा-आवश्यक किसी अन्य विभाग द्वारा आवश्यक अनुमोदन केवल इसी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- (8) राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार पोर्टल के काम-काज और ऐसे पोर्टलों के अनुमोदन की मंजूरी के संदर्भ में नागरिक चार्टर भी प्रकाशित करेंगे। यह प्रक्रिया पारदर्शी तथा सुचारु होनी चाहिए और सभी अधिसूचनाएं, दिशा-निर्देश, प्रपत्र इत्यादि खंड 6 में स्थापित पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाते हैं और आवेदन इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाते हैं तथा इनका निपटान भी निर्धारित समय में किया जाता है।

7. पंजीकरण की वैधता और नवीनीकरण

- (1) खण्ड 6 के तहत जारी किया गया पंजीकरण 10 वर्षों की प्रारंभिक अविध के लिए वैध होगा, जिसका एक बार 10 वर्षों के लिए और नवीनीकरण किया जाएगा, जो इस शर्त के अधीन होगा कि पंजीकृत स्क्रेपर इन प्रावधानों या खंड 14 में यथा-विनिर्दिष्ट लागू कानून और अधिनियम का दोषी नहीं है।
- (2) नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र-1 में या राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी अन्य प्रारूप में किया जाएगा। आवेदन के साथ राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट नवीनीकरण शुल्क और प्रतिभृति जमा किया जाएगा।
- (3) पंजीकरण का नवीनीकरण प्रपत्र-1क के अनुसार जारी किया जाएगा।
- (4) इस नियम के तहत जारी पंजीकरण हस्तांतरणीय नहीं होगा।

8. वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए मानदंड

निम्नलिखित वाहनों को पंजीकृत स्क्रेपर को स्क्रैप करने के लिए पेश किया जा सकता है:

- (i) जिन वाहनों ने सीएमवीआर, 1989 के नियम 52 के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं किया है।
- (ii) जिन वाहनों को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 62 के अनुसार फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है।
- (iii) वाहन जो आग, दंगा, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या किसी आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके बाद पंजीकृत स्वामी स्वयं उसे स्क्रैप के रूप में प्रमाणित करता है।
- (iv) वाहन जो सरकार के केंद्रीय / राज्य संगठनों द्वारा अप्रचलित या अधिशेष या आर्थिक मरम्मत से परे घोषित किए गए हैं और स्क्रैपिंग के लिए पेश किए गए हैं।
- (v) आरवीएसएफ सहित किसी भी एजेंसी द्वारा स्क्रैपिंग के लिए नीलामी में खरीदे गए वाहन।
- (vi) वाहन मालिक द्वारा स्व-प्रमाणित वाहन जो अपनी उपयोगिता व्यक्त करता है अथवा विशेष रूप से खनन, राजमार्ग, बिजली, खेतों आदि में परियोजनाओं के लिए आवेदन किया गया हो।
- (vii) वाहन ओईएम द्वारा प्रमाणित विनिर्माण अस्वीकार्य और परीक्षण वाहन।
- (viii) किसी भी प्रवर्तन एजेंसी द्वारा नीलाम किए गए, जब्त किए गए और छोड़ दिए गए वाहन।

9. निरीक्षण का अधिकार

- (1) इस अध्याय में प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण प्राधिकारी या राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकार के नामित अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए पंजीकृत स्क्रेपर को आरवीएसएफ में वाहनों के लेनदेन और स्क्रैप जनरेशन के बारे में रिकॉर्ड और अधिकृत रिसाइकलर्स से इसका जिम्मेदार निपटान और आरवीएसएफ परिसर में सभी मशीनरी, उपकरण और तंत्र तैयार रखना चाहिए।
- (2) वास्तविक निरीक्षण और साइट का दौरा केवल तभी करना चाहिए: -
- (i) जब उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा गैर अनुपालना की रिपोर्ट अथवा पंजीकृत स्क्रेपर के संबंध में पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जन शिकायत प्राप्त की गई है।
- (ii) इस तरह की शिकायत को पंजीकृत स्क्रेपर को 3 कार्य दिवसों के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने के लिए भेज दिया गया है।
- (iii) प्रतिक्रिया की जांच की गई है और पंजीकृत स्कैपर को तीन कार्य दिवसों के भीतर और स्पष्टीकरण प्रदान करने का अवसर प्रदान किया गया है।
- (iv) पंजीकरण प्राधिकारी की राय में प्रदान की गई प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण अपर्याप्त हैं, और साइट का एक निरीक्षण आवश्यक है।
- (v) इस तरह के साइट के दौरे को पंजीकरण प्राधिकारी या राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा याथोचित अधिकृत किया जाना चाहिए।
- (3) निरीक्षण दल की रिपोर्ट को पंजीकरण प्राधिकारी अथवा नामित अधिकारी को आगे की प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और इसकी एक प्रति पंजीकृत स्क्रैपर को मुहैया करायी जाएगी।
- (4) पंजीकृत स्क्रेपर को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करने के बाद पंजीकरण प्राधिकारी सुविधा की प्राधिकृति को रद्द करने या निलंबित करने का मौखिक आदेश पारित कर सकता है।

बशर्ते कि सीपीसीबी के दिशानिर्देशों के संबंध में देखे गए उल्लंघनों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित किया जाएगा। इस अविध के दौरान पंजीकरण निलंबित रहेगा, जबिक किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा सुविधा के लिए अपेक्षित लाइसेंस / एनओसी / प्राधिकृतियों को कानून के तहत वापस ले लिया गया है या निलंबित कर दिया गया है।

10. स्क्रैपिंग प्रक्रिया

- (1) पंजीकृत स्क्रैपर द्वारा जब्त किये गए वाहन/छोड़ दिए गए वाहनों को छोड़कर सभी ईएलवी के संबंध में नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन वाहनों की स्क्रैपिंग की जाएगी।
- (2) पंजीकृत मालिक या प्राधिकृत प्रतिनिधि वाहन को प्रपत्र-2 के अनुसार आवेदन की दो मूल प्रतियों के साथ पंजीकृत स्क्रेपर या अधिकृत वाहन जमा/निरूपण संग्रहण केंद्र को सौंपेंगे।
- (3) यदि वाहन का वैध पंजीकरण नहीं है, तो पंजीकृत स्क्रेपर या उसके निर्दिष्ट केंद्र वाहन डेटाबेस के अनुसार पंजीकृत मालिक की पहचान का मिलान वाहन सौंपने वाले व्यक्ति के साथ करेंगे और वाहन प्राप्त करेंगे तथा वाहन डेटाबेस से जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रसीद जारी करेंगे।
- (4) प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जब्त किये गए वाहनों को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा यथोचित विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत स्क्रैपर को सौंपा जाएगा।
- (5) किसी वाहन की स्क्रैपिंग से पहले आरवीएसएफ की ओर से वाहन स्क्रैपिंग के लिए प्रस्तुत किए गए वाहनों के रिकॉर्ड का सत्यापन एनसीआरबी के साथ ही स्थानीय पुलिस द्वारा जब्त चोरी किए वाहनों के डेटाबेस के साथ करना अनिवार्य होगा।
- (6) पंजीकृत स्क्रेपर को मालिक या प्राधिकृत प्रतिनिधि से प्रपत्र -2 के साथ निम्नलिखित लागू मूल दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
 - i. पंजीकरण का मूल प्रमाण पत्र।
 - ii. पंजीकृत मालिक से प्राधिकृति।
 - iii. उत्तराधिकार के मामले में, उत्तराधिकारी के किसी भी प्रमाण के साथ पंजीकृत मालिक का मृत्यु प्रमाण पत्र।
 - iv. नीलामी करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा यथोचित हस्ताक्षरित अपने पक्ष में किसी सार्वजनिक नीलामी में वाहन की बिक्री की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र या आदेश।
 - v. मालिक/प्रतिनिधि से वचन लेना जो यह दर्शाता है कि वाहन का कोई लंबित आपराधिक रिकॉर्ड या मुकदमा नहीं है।
- (7) यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 51 की उप-धारा (2) के तहत आवश्यक मोटर वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में किराया-खरीद, पट्टे या उपप्राधीयन समझौते का विधिवत निर्वहन किया गया है।
- (8) पंजीकृत स्क्रैपर द्वारा मालिक अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां स्वीकार की जायेगी।
 - i. मालिक के पैन कार्ड की प्रति।

- ii. मालिक के बैंक खाते का क्रॉस चेक।
- iii. प्राधिकृत प्रतिनिधि (यदि लागू हो) पहचान प्रमाण जैसे पासपोर्ट, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केंद्र सरकार संगठनों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र।
- iv. मालिक के पते का प्रमाण जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, लैंड लाइन टेलीफोन का बिल, पाइप्ड कुकिंग गैस का बिल आदि।
- v. मालिक या पंजीकृत स्क्रैपर को ईएलवी सौंपने वाले प्राधिकृत प्रतिनिधि की डिजिटल फोटो या प्रपत्र-2 में यथोचित चिपकाया गया मालिक/प्रतिनिधि का फोटो और मालिक/प्रतिनिधि द्वारा प्रति हस्ताक्षरित।
- (9) पंजीकृत स्क्रैपर विधिवत् प्राप्त किया गया दूसरा प्रपत्र-2 मालिक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को देगा और वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के सबूत के रूप में जमा प्रमाणपत्र जारी करेगा।
- (10) किसी राज्य में स्थापित आरवीएसएफ किसी भी पंजीकृत प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में किसी भी राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों में पंजीकृत वाहनों को स्वीकार और स्क्रैप कर सकता है। पूरी प्रक्रिया वाहन के साथ सुचारू रूप से जुड़ी होगी और अखिल भारत के आधार पर किसी भी वाहन पंजीकरण प्राधिकरण के अवस्थान के निरपेक्ष होगी।
- (11) 'जमा प्रमाणपत्र' मालिक के लिए एक नया वाहन खरीदने के लिए समय-समय पर लागू किए गए प्रोत्साहन और लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक और पर्याप्त दस्तावेज होगा।
- (12) 'जमा प्रमाणपत्र' व्यापार करने योग्य होगा और इसका एक बार उपयोग किए जाने के बाद एजेंसी द्वारा उक्त प्रमाण पत्र धारक को लाभ प्रदान करते हुए इसे "िनरस्त" कर दिया जाएगा। इस संबंध में प्रविष्टियों का मिलान आरवीएसएफद्वारा वाहनपोर्टल पर भी किया जाएगा।
- (13) पंजीकृत स्क्रेपर वाहन के लिए सहमत राशि का डिजिटल तरीके से या आदाता खाता चेक से भुगतान करेगा और रिकॉर्ड के लिए मालिक या प्राधिकृत प्रतिनिधि से उसकी एक रसीद प्राप्त करेगा।
- (14) खंड 11 के अनुसार 'वाहन स्क्रेपिंग प्रमाणपत्र' के जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि तक चेसिस नंबर के कटे हुए टुकड़े की सुरक्षित-अभिरक्षा की जिम्मेदारी पंजीकृत स्क्रेपर की होगी।
- (15) पंजीकृत स्क्रेपर को रिकॉर्ड और निरीक्षण के दौरान जांच के लिए पंजीकरण अधिकारी या आरवीएसएफ के नामित अधिकारी द्वारा प्रमाणित सभी दस्तावेजों की वास्तविक और कम्प्यूटरीकृत स्कैन की गई प्रति को समय समय पर यथा संशोधित कंपनी अधिनियम. 2013 द्वारा यथावश्यक अवधि तक अपने पास रखना होगा।
- (16) पंजीकृत स्क्रैपर सुनिश्चित करेगा कि स्क्रैप किए गए वाहन के खतरनाक पुरजों को हटाने/रीसाइकल या निपटान मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया हो।
- (17) ईंधन, तेल, एंटीफ्रीज, और अन्य गैसों, तरल पदार्थ आदि निकालने और उन्हें प्रमाणित मानक कंटेनरों में एकत्र न किया जाए तब तक वाहनों को स्क्रैप नहीं किया जाएगा।
- (18) स्क्रैप किए गए वाहनों पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रपत्र -3 में या राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के परिवहन विभाग द्वारा निर्दिष्टानुसार प्रस्तुत की जायेगी।

11. वाहन स्क्रैपिंग का प्रमाण पत्र

- (1) पंजीकृत स्क्रैपर, आवश्यक उपचार पूरा करने के बाद, नेशनल रजिस्टर, वाहनडेटाबेस को अपडेट करने और अभिलेखों का अद्यतन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र सरकार को सूचित करने के लिए फॉर्म-4 में चेसिस के कट आउट की एक डिजिटल तस्वीर सहित एक डिजिटल 'वाहन स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र' जारी करेगा।
- (2) केंद्र सरकार द्वारा स्क्रैप्ड वाहनों का एक अलग रिकॉर्ड वाहन डेटाबेस में रखा जाएगा।
- (3) स्क्रैप किए गए वाहन से प्राप्त, एक ईएलवी के किसी भी भाग का पुन: उपयोग / पुनर्विक्रय, जिसमें ईंजन या कोई भी पुनर्निर्मित भाग शामिल है, समय-समय पर लागू नीति / दिशानिर्देशों / मानकों के अनुसार होगी।

12. सीसीटीवी कैमरों की स्थापना

- (1) पंजीकृत स्क्रेपर ग्राहक और वाहन स्वागत क्षेत्र में, स्क्रैपिंग यार्ड में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करेगा। तीन कैलेंडर महीनों की अवधि के लिए पंजीकृत स्क्रेपर के आईटी सिस्टम में स्क्रैपिंग के रिकॉर्ड को रखा जाना चाहिए।
- (2) सुविधा में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की पहुंच राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित प्राधिकृत एजेंसियों को प्रदान की जा सकती है।

13. स्क्रैपिंग यार्ड

- (1) स्क्रैप के बड़े आकार और बहुत अधिक मात्रा को देखते हुए, वाहनों की आवाजाही के साथ-साथ वाहनों/ प्राप्त उत्पादों और प्राप्त पुनर्योग्य सामग्री के लिए भंडारण के लिए पर्याप्त जगह वाले बड़े क्षेत्र में निराकरण सुविधा स्थापित की जानी चाहिए।
- (2) विकिरण को मापने के लिए सुविधा के साथ-साथ ईएलवी, व्हाईट वस्तुओं और अन्य स्क्रैप को संभालने, प्रदूषण रहित करने और डिसमेंटल करने के लिए एक पर्याप्त दरवाजा लगे हुए क्षेत्र के मानदंडों को पूरा करना चाहिए जैसा कि स्क्रैप के आयात के लिए पालन किया जाता है। आरवीएसएफ को मानवीय हस्तक्षेप को कम करने और सुरक्षित कार्य स्थल बनाने के लिए सामग्री संभालने वाली मशीनों से निपटने की आवश्यकता होगी।
- (3) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुरक्षित संचालन प्रथाओं का पालन किया जाता है, संग्रहण केंद्रों से व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों, आईएसओ 45001 (ओएचएसएएस) का पालन करने की उम्मीद की जाती है। सभी संग्रहण केंद्र सक्षम और प्रशिक्षित जनशक्ति को उपयोगी जीवन रहित, माल और अन्य स्क्रैप की प्रक्रिया में लगाएगा।
- (4) संग्रहण केंद्रों में शुष्क क्षेत्र (जल भराव से मुक्त), सुरक्षित कार्य स्थलों के रखरखाव और प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए अन्य सभी आवश्यक उपाय के लिए डामर / ठोस फर्श, डामर / कंक्रीट सड़कों, इन-हाऊस रखरखाव के लिए पर्याप्त कार्यशाला सुविधाओं, अग्नि सुरक्षा प्रणाली आदि की तरह अभेद्य सतह होनी चाहिए।

- (5) संग्रहण केंद्रों को प्रदूषण समाप्त करने वाली प्रणाली, खासकर शून्य डिस्चार्ज प्रणाली के साथ, सुसज्जित किया जाएगा और डिसमेंटलिंग कार्य उपयोगी जीवन रहित वाहनों, माल और अन्य स्क्रैप के अंत का प्रसंस्करण सबसे अच्छी उपलब्ध तकनीक का उपयोग करके किया जाएगा।
- (6) संग्रहण केंद्र इस तरह के संचालन के लिए संबद्ध स्वास्थ्य तथा सुरक्षा कानून / विनियमन और एमओईएफएंडसीसी, सीपीसीबी और खतरनाक और अन्य अपिशष्ट पदार्थ (प्रबंधन और सीमा पार आवागमन) नियम, 2016 द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन करेगा।
- (7) स्क्रैपिंग यार्ड में निम्नलिखित होना चाहिए-
 - क. अपशिष्ट वाहनों की पार्किंग के लिए उपयुक्त निर्धारित स्थान। ये क्षेत्र गैर-पारगम्य कंक्रीट के होते हैं और पर्याप्त जल निकासी की सुविधा के साथ इपॉक्सी कोटेड फ्लोरिंग वाले होते हैं। कोई अपशिष्ट या संभावित अपशिष्ट वाहन सड़कों पर या सार्वजनिक स्थानों पर पार्क नहीं किया जाना है, यहां तक कि जमा करने के लिए आवेदनों के प्रक्रिया के दौरान भी और केवल आरवीएसएफ के परिसर के भीतर ही समायोजित किया जाना है।
 - ख. ईंधन, तरल पदार्थ, गैसों और तरल पदार्थों की निकासी के दौरान प्रदूषकों के शून्य रिसाव को सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित प्रदूषण समाप्त करने वाले उपकरण, सुरक्षित न्यूट्रलाइजेशन / एयरबैंग को हटाने, प्री-टेंशनर आदि के लिए प्रमाणित डे-रिस्किंग उपकरण, परिभाषित गतिविधियों (जैसे डी-रिस्किंग, प्रदूषण समाप्त करने वाली, विघटन, श्रेडिंग, शीयरिंग, बेलिंग आदि) के लिए उपयुक्त विघटन करने वाले उपकरण, अलग-थलग स्क्रैप के भंडारण के लिए नामित क्षेत्र, ऑटोमोटिव खतरनाक कचरे जैसे कि टायर, बैटरी, ईंधन, तेल, तरल पदार्थ और गैसों के अस्थायी भंडारण के लिए स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट स्थान, उपयुक्त सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य उपकरण, पुर्जों, स्क्रैप और अपशिष्ट उत्पादों के सुरक्षित परिवहन के लिए सामग्री संभालने वाले उपकरण।
 - ग. उपयुक्त औद्योगिक ग्रेड प्रकाश और वेंटिलेशन प्रणाली, ध्विन प्रदूषण मानदंड और उपयुक्त अपिष्ट उपचार संयंत्रों या जल पुनर्चक्रण संयंत्रों के अनुरूप।
- (8) इन स्क्रैपिंग यार्डों को अपने केंद्रों / इकाइयों को परिचालन शुरू होने के 12 महीनों के भीतर गुणवत्ता मानकों अर्थात आईएसओ 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) और आईएसओ 45001 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा) के नवीनतम संस्करणों के साथ मान्यता देनी चाहिए।
- (9) यदि आरएसएफ में खतरनाक कचरे (जैसे ई-कचरा, सीसा एसिड बैटरी, लिथियम आयन घटक, या दुर्लभ पृथ्वी धातुओं की बरामदगी, आदि) के पुनर्चक्रण के लिए या स्क्रैप सामग्री के पुनर्चक्रण के लिए, जो इसके दायरे से बाहर है, पर्याप्त क्षमता / प्रावधान नहीं हैं, तो ऐसी सामग्रियों को अधिकृत रिसाइकलर्स / एजेंसियों को बेचा जाना है, जिनके पास पर्याप्त क्षमता और लाइसेंस है। लेन-देन का एक रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से ऑफ-लोडेड वॉल्यूम और अधिकृत रिसाइक्लर / एजेंसी के नाम, प्राधिकरण संख्या,

पैन, जीएसटी और अन्य व्यावसायिक विवरण बताते हुए रखा जाएगा। इस तरह के रिकॉर्ड समय-समय पर लेखापरीक्षा के अधीन होंगे।

14. लागू अधिनियम / नियम

भारत में प्रवर्तित कानूनों के अलावा, निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों के प्रावधान इन नियमों के लिए लागू हैं:-

- i. मोटर वाहन अधिनियम, 1988
- ii. केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989
- iii. विभिन्न राज्य और यूटी मोटर वाहन नियम, 1993
- iv. समय-समय पर संशोधित खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग और सीमा पार आवागमन) नियम, 2008
- v. ओजोन घटाने वाले पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000
- vi. 2016 में संशोधित बैटरी (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011
- vii. 2016 में यथा-संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011
- viii. ई-वेस्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम 2016

15. लेखापरीक्षा और प्रमाणन

- (1) इस अध्याय के अनुपालन के लिए आरवीएसएफ का सक्षम अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा किया जाएगा।
- (2) सक्षम प्राधिकारी की ओर से, सीएमवीआर के नियम 126 या सामग्री पुनर्चक्रण उद्योग संघ (एमआरएआई) या भारतीय ऑटोमोटिव अनुसंधान संघ (एआरएआई) या भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता सोसायटी (सियाम), समय-समय परसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संशोधित इस तरह की सूची के तहत एजेंसियों में से कोई भी निम्नलिखित कार्य कर सकती है
 - क. नियामक और अनुपालन लेखा परीक्षा, और
 - ख. आरवीएसएफ द्वारा वार्षिक विवरण में भरे हुए मास फ्लो वक्तव्य की लेखा परीक्षा जैसा कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित हो
- (3) लेखा परीक्षा रिपोर्ट एक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए सालाना ऑडिट एजेंसी द्वारा वाहन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और उस वित्त वर्ष के 31 मई (वित्तीय वर्ष के पूरा होने के दो महीने के भीतर) तक जमाकर दिया जाएगा।
- (4) ऑडिट रिपोर्ट पंजीकृत स्क्रैपर द्वारा प्राप्त उनके प्रदर्शन और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा अनुपालन, विनियामक, व्यापार, पर्यावरण और श्रम मानकों और संबंधित रीसाइक्लिंग दरों, मास फ्लो की जानकारी के आधार पर आरवीएसएफ का ग्रेड और मूल्यांकन करेगी।

- (5) लेखा परीक्षा में रिपोर्ट किए गए गैर अनुपालन की टिप्पणियों को ऑडिट रिपोर्ट के जारी होने के दो महीने के भीतर पंजीकृत द्वारा हल कर लिया जाना चाहिए जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अधिकतम एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है।
- (6) प्रमाणन को उनकी वैधता समाप्त होने से कम से कम 3 महीने पहले पुनर्प्रमाणित किया जाना है।

16. अपील

- (1) प्रतिभूति की जब्ती या पंजीकरण रद्द करने के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार की पंजीकृत प्राधिकरण के एक आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस तरह के आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार या आयुक्त/सचिव (परिवहन) के नामित प्राधिकारी को अपील कर सकता है।
- (2) पंजीकरण प्राधिकारी के आदेश की टिप्पणियों को आधार देते हुए अपील एक सादे आवेदन प्रारूप में या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार के नामित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित के रुप में प्राथमिकता दी जाएगी और उसके साथ विरोध वाले आदेश की एक प्रमाणित प्रति और 10,000 / रुपये (केवल दस हजार रुपये) की शुल्क होगी।
- (3) यह नामित प्राधिकारी का प्रयास होना चाहिए कि वह इसके प्रतिपादन के 14 कार्य दिवसों के भीतर अपील का निपटारा करे।

फार्म- 1

[खंड 6(1) देखें]

पंजीकृत वाहनस्क्रैपिंग की सुविधा (आरवीएसएफ) के लिए आवेदन

के लिए आवेदन	कृपया लागू होने पर टिक करें
एक नया आरवीएसएफ के लिए पंजीकरण	
मौजूदा आरवीएसएफ के लिए पंजीकरण का नवीकरण	
मौजूदा पंजीकरण में संशोधन	

1. कार्यालय उपयोग के लिए

आवेदन संख्या	
आवेदन तिथि	
तारीख	
शुल्क	
सुरक्षा जमा	

^							0	
2.	सा	म	न्य	ज	न	का	र	ſ

i	नाम								
ii	पता								
iii	टेलीफोन								
iv	फैक्स								
V	ईमेल								
vi	सीआईएन								
vii	पेन सं.								
viii	जीएसटी								
ix	स्थिति	कंपनी	फर्म	ट्रस्ट	समाज	स्वामि	सरकारी	जेवी	पीपीपी
x	संलग्नक	एमओए					एओए		
xi	कंपनी की मौर	नूदा गतिवि <u>वि</u>	धेयाँ						
	(राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण कोड)								

3. <u>संयंत्र विवरण</u>

क	स्थान (मानचित्र प्रदान करें)			
ख	क्षेत्र (वर्ग मीटर)			
ग	अधिकृत क्षेत्र का विवरण	स्वामित्व	लीज/अवधि	वर्षों
घ	राज्य			
ड.	जिला			
च	औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी			

4. कंपनी की प्रस्तावित गतिविधियाँ	एल वाहन	हाँ	नहीं	क्षमता	अदद
	एम वाहन	हाँ	नहीं	क्षमता	अदद
	एन वाहन	हाँ	नहीं	क्षमता	अदद

	अन्य	हाँ	नहीं	क्षमता	अदद
5. प्रस्तावित पूंजी संरचना (लाख रुपये)	अधिकार दिया गया सदस्यता लिया प्रदत्त				
6. कर्मचारियों की प्रस्तावित संख्या					

7. <u>स्थान की उपलब्धता</u>

क	निम्नलिखित स्थानों और क्षेत्रों (वर्गमीटर) प्रदर्शित: -करते हुए संयंत्र डिजाइन और लेआउट,	
ख	अपशिष्ट वाहनों (वर्गमीटर) की सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल पार्किंग के लिए प्रयोजन विशिष्ट क्षेत्र	
ग	अलग किए गए स्क्रैप (वर्गमीटर) के भंडारण के लिए निर्धारित क्षेत्र	
घ	भंडारण स्थान (वर्गमीटर)	
ड.	स्वचालित ऑटोमोटिव हानिकारक कचरे (वर्गमीटर) के अस्थायी भंडारण के लिए निर्धारित स्थान	
च	पुर्जों, स्क्रैप और अपशिष्ट उत्पादों (वर्गमीटर) के सुरक्षित परिवहन की पार्किंग के लिए स्थान का प्रावधान	

8. <u>उपकरणों की उपलब्धता</u>

क	प्रमाणित अ-प्रदूषणकारी उपकरण	हाँ	नहीं
ख	प्रमाणित खतरा विहिन उपकरण	हाँ	नहीं
ग	सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य उपकरण	हाँ	नहीं
10	वाहनडेटाबेस तक सुरक्षित पहुंच के लिए	हाँ	नहीं
	आईटी सिस्टम के लिए सुरक्षा प्रमाणपत्र		

4	4		_			•	_
1	1	पर्य	व	रण	ाय	मज	रा

क	स्थापित करने के लिए सहमति	
ख	संचालित करने के लिए सहमति	

12	वाहन डेटाबेस के लिए आवेदन संख्या	

13 <u>उपक्रम</u>

	एत	द्द्वारा आवेदक वचन देता है कि		
क		नवी के सुरक्षित निपटान के लिए सीपीसीबी ⊓निर्देशों का अनुपालन करेगा	हाँ	नहीं
ख	पंर्ज	किरण जारी होने के 12 महीने के भीतर गुणवत्ता प्र	माणपत्र प्राप्त करें	
		आईएसओ 9001	हाँ	नहीं
	ii	आईएसओ 14001	हाँ	नहीं
	iii	आईएसओ 45001	हाँ	नहीं
ग	खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों (2016) का		हाँ	नहीं
	पाल	ान करेगा		

		0
प्राधिकत	हस्ताक्षरक	ताः.
711921	6,414,71	

तिथि:-

कंपनी की मोहर

फार्म- 1 ए [*खंड 6 (3)देखें*]

पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ)

की स्थापना के लिए प्रमाण पत्र

पंजीकरणप्राधिकारी ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना के लिए पंजीकरण करने को मंजूरी दी है:

1.	आवेदक	
2.	स्थान	

3.	आवे	दिन संख्या								
4.	आवे	ादन तिथि								
5.	अनु	मोदन	हाँ		नहीं			पुन:प्रस्तुः करना	त	
6.	वर्ग		एल वाहन	हाँ	नहीं	वार्षिक	क्षमता			अदद
			एम वाहन	हाँ	नहीं	वार्षिक	क्षमता			अदद
			एन वाहन	हाँ	नहीं	वार्षिक	क्षमता			अदद
			अन्य	हाँ	नहीं	वार्षिक क्षमता				अदद
7.	पंजीकरण संख्या									
8.	वैधता		से				सेवा मेरे			
9.	प्रक्रि	ज्यात्मक शुल्क	रकम							
10.	सुरध	क्षा जमा राशि	रकम							
11.	बैंक	गारंटी	रकम			तारीख		वैधता		
12.	शर्तें									
	क	पंजीकरण गैर-हस	तांतरणीय है							
	ख	अंडरटेकिंग का प	रेसमापन किय	ग जाना	है	तारीख				
	ग	ग स्व-प्रमाणन अनुपालन प्रस्तुत करें			तारीख					
	घ	सुविधा निरीक्षण	देय			तारीख				
	ভ.	पहला टेस्ट ऑडित	ट होना है			तारीख				

नोट: पंजीकरण अहस्तांतरणीय है

पंजीकरण प्राधिकरण

डाक टिकट

तारीख

फार्म - 2

[*खंड 10(2)देखें*]

स्क्रैपिंग और वाहन जमा राशि के प्रमाणन के लिए साम्मिश्र आवेदन

	स्मानम् आर् याहुम् जना सारा मन्त्रमानम् मन्त्रस्य आपर्यम				<u> </u>	
1	मारि	लेक का वि	वरण			
	क	नाम				
	ख	पता				
	ग	मोबाइल	नं.			
	घ	ईमेल				
	ड.	पेन				
	च	बैंक खात	Т	1		
		i	बैंक का नाम			
		ii	शाखा			
		iii	खाता संख्या			
		iv	आईएफएससी			
		V	क्रॉस्ड चेक			
		vi	प्राप्त किया गया विचार (रु.)			
		vii	चालान नंबर और दिनांक			
	छ:	फोटोग्राप	Б	संलग्न		
2	वाह	न की सूच	———————— ना			
	पंजी	करण संख्	या			
	बना	ने वाली वं	ज्पन <u>ी</u>			
	मोडे	ल				
	चेसि	स संख्या				
	इंजन्	न नं.				
	विनि	नेर्माण के म	महीने / वर्ष			

3	दस्तावेज				
	क	पंजीकरण का मूल प्रमाण पत्र।			
	ख	फिटनेस सर्टिफिकेट की प्रति, जिसके यदि लागू होगे के बाद वाहन को अनफिट घोषित कर दिया गया हो।			
	ग	पंजीकृत मालिक से मुख्तारनामा			
	घ	उत्तराधिकार के मामले में, पंजीकृत मालिक का मृत्यु प्रमाण पत्र उत्तराधिकार प्रमाण के साथ			
	ड.	सार्वजनिक नीलामी में वाहन की बिक्री की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र या आदेश			
4	आवे	दन द्वारा प्रमाणीकरण			
	करत	• •	रते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई सभी विवरण सत्य और गतिविधि / मुकदमेबाजी में लिप्त नहीं है और यह सिद्ध री तरह उत्तरदायी है।		
तार्र जग	ोख: ह:		हस्ताक्षर:		
5	जम	। प्रमाणपत्र			
	 1. यह प्रमाणित किया जाता हैं कि भुगतान वाउचर सं दिनांक के तहत मालिकों को रुपये की भुगतान सहमित विचार के लिए अध्याय Vक के अनुरुप उपचार के लिए हमारे इनवार्ड सं दिनांक के तहत पंजीकृत सं की सुविधा के लिए स्वीकार किया गया है। 2. आगे प्रमाणित किया जाता हैं, कि उपचार के पूरा होने पर राष्ट्रीय रजिस्टर, वाहन डेटाबेस और सक्षम प्राधिकारी को अभिलेखों के अद्यतन के लिए सूचित किया जाएगा। 				
		त्रकारा का जानलखा क जञ्चतन क लिए सूनित	,		
तार	ोख:	त्रयगरा यम जामलखा य जञ्चतम य ।लए सू ।यत	हस्ताक्षर:		

आरवीएसएफ सं.
वैधता

र हेड पर

आरवीएसएफ सं	वैधता

फार्म- 3 [*खंड 10 (17)देखें*]

वित्तीय वर्ष 20-20 के लिए वार्षिक रिर्टन

		ावताय वर्ष 20	∠∪ कालए वााषव	। १८०५	
1	नाम				
	पंजीकरण	ग संख्या			
	वैधता				
2	क्षमता उ	पयोगिता (अदद)			
	क	विपंजीकरण	पूरी की गई (1)	प्रक्रिया (2) में	कुल (1 + 2)
	i	एल वीईएचएस			
	ii	एम वीईएचएस			
	iii	एन वीईएचएस			
	iv	अन्य			
	v	कुल (ए)			
	ख	उपचार	अधिकृत (1)	उपयोगकृत(2)	% उपयोगीकरण
					(1 / 2 * 100)
	i	एल वीईएचएस			
	ii	एम वीईएचएस			
	iii	एन वीईएचएस			
	iv	अन्य			

	.,			
	V	कुल (बी)		
3	जन प्रवा	•		केजीएस
	क	अंदर की ओर		
	i	एल वीईएचएस		
	ii	एम वीईएचएस		
	iii	एन वीईएचएस		
	iv	अन्य		
	V	कुलयोग (i + ii + iii + iv = ए)		
	ख	बाहर की ओर		
	i	लौह		
	ii	अल्युमीनियम		
	iii	तांबा		
	iv	प्लास्टिक		
	V	कांच		
	Vi	टायर्स		
	Vii	अन्य		
	Viii	उप-कुल (i)	 	
	ग	प्रक्रिया के लिए खतरनाक अपशिष्ट	 	
	i	ईंधन		
	ii	तेल		
	iii	गैसों		
	iv	बैटरियों		
	v	तरल पदार्थ		

	Vi	उप-कुल (ii)					
	घ	लैंडफिल्ड के लिए खतरनाक अपशिष्ट					
	i	रखे गए अवशेष					
	ii	लैंडफिल					
	iii	कुल (iii)					
	ड.	कुल योग (i + ii + iii = बी)					
	च	व्यापक बैलेंस (ए-बी)					
4	गुणवत्ता	प्रमाणपत्र स्थिति		वैधता	टिप्पणियों		
	क	आईएसओ 9001					
	ख	आईएसओ 14001					
	ग	आईएसओ 45001					
5	लेखा पर्र	ोक्षा					
	क	एजेंसी					
	ख	तारीख					
	ग	परिणाम	उत्तीर्ण करना	असफल	पुन:प्रस्तुत		
6	सुरक्षा			अदद	टिप्पणियों		
	क	दुर्घटनाएं					
	ख	घटनाए					

7.			

मिमी

वाई वाई

कट आउट पिक्चर

ब्लैंक पिक्चर

ख

ग

घ

ड.

च

बनाना

मोडल

चेसिस नंबर

इंजन नं.

निर्माण का महीना / वर्ष

5	मार्ग	लेक का विवरण	
	क	नाम	
	ख	आईडी प्रमाण विवरण	
	ग	पता	
	घ	पता प्रमाण विवरण प्रस्तुतिकरण	

6 पूर्वगामी के अवलोकन में यह अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त वाहन के संबंध में रिकॉर्ड अपडेट किया जा सकता है।

दिनांक:		
	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	कंपनी मोहर
स्थान:		
		[फा. सं. RT-23013/1/2018-T]
		अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2021

G.S.R. 190(E).— The following draft of the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 59(4) of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government,

Draft Rules

In exercise of the powers conferred under Section 59(4) of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

- 1. Short Title and commencement- (1) These rules may be called the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette

2. Application

These provisions shall lay down the procedure for establishment of Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF). These will apply to all vehicles and their last registered owners, Automobile collection centres, Automotive Dismantling, Scrapping and Recycling Facilities and recyclers of all types of automotive waste products.

3. Definitions: -

In these rules, unless the context otherwise requires-

- a. "Act" means the Motor Vehicles Act, 1988.
- b. "Registered Scrapper" means a person, firm, society, trust or company owning and operating a Registered Vehicle Scrapping Facility (hereinafter referred to as "RVSF").
- c. "Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF)" means any establishment which holds a 'Registration for Vehicle Scrapping' issued under this Chapter for carrying out dismantling and scrapping operations.
- d. "Certificate of Deposit" means the certificate issued by the RVSF to recognize the transfer of ownership of the vehicle from the registered owner to the Registered Scrapper for further treatment.
- "Certificate of Vehicle Scrapping" means the certificate issued by an RVSF to recognize the final disposal of a vehicle.
- f. "End of Life Vehicles (ELV)" refers to all vehicles which are no longer validly registered; or declared unfit through Automated Fitness Centres; or their registrations have been cancelled under Chapter IV of the Act; or due to an order of a Court of Law; or are self-declared by the legitimate registered owner as a waste vehicle due to any circumstances that may arise from fire, damage, natural disaster, riots or accident etc.
- g. "Final Disposal" refers to the treatment of the vehicle so that the vehicle is no longer capable of being used as such, the evidence for which is the cut out of the Chassis and the disposal of its engine in accordance with CPCB Guidelines.
- h. "Registration Authority" means the Commissioner (Transport) or any other Officer designated by the Government of the State/UT for this purpose.
- i. "Recycling" means the reprocessing in a production process of the waste materials for the original purpose or for other purposes but excluding energy recovery.
- j. "Registered owner of an End of Life Vehicle" means:
 - i. the person in whose name the vehicle is formally registered in the National Register for Vehicles (VAHAN) or on the records of the State/UT transport department; or
 - ii. the authorised representative of such person supported by documentary evidence; or
 - iii. person who has gained ownership of the vehicle in a public auction in accordance with Rule 57 of the CMVR;
 - iv. Person who has inherited the vehicle in accordance with Rule 56 of the CMVR; or
 - v. In relation to a motor vehicle which is the subject of a hire-purchase, agreement, or an agreement of lease or an agreement of hypothecation, the person in possession of the vehicle under that agreement;
- k. "Rules" means the Central Motor Vehicle Rules (CMVR) and State specific Motor Vehicle Regulation (State MVR).
- "Scrapping" means the entire process from receipt and record of the 'ELV' including depolluting, dismantling, segregation of material, safe disposal of non-reusable parts, and issuance of 'Certificate of Vehicle Scrapping' to the registered owner of a motor vehicle.
- m. "Scrapping yard" means the designated location within the premises of the RVSF where dismantled vehicle parts are processed for further treatment including recycling.
- n. "Treatment" means any activity after the end of life vehicle has been handed over to a collection centre of an RVSF for depollution, dismantling, shearing, shredding, recovery or preparation for disposal of the shredder

wastes, and any other operation carried out for the recovery and/or disposal of the end of life vehicle and its components;

o. "Vehicle" means a motor vehicle as defined in the Act;

4. Powers and obligations of RVSF

The RVSF shall be provided connectivity and access to the VAHAN database of vehicle registration with password protected user ID and shall be authorized to make suitable entries regarding scrapping of the vehicle and issuance of Certificate of Deposit and Certificate of Scrapping, either directly or through their collection centre.

- (1) The RVSF must have necessary cyber security certifications for the IT Systems for safe access to the VAHAN database.
- (2) The RVSF shall be provided the necessary connectivity to verify the records of the vehicles produced for scrapping with the database of the stolen vehicles, held by NCRB as well with the local Police. It would be obligatory on the part of the RVSF to carry out such verification before scrapping a vehicle.
- (3) The RVSF shall undertake verification of the persons handing over the vehicle for scrapping to determine the bona fide of the vehicle owner or his authorized representative and retain a copy of the same for record for a minimum period of 6 months.

5. Conditions of Eligibility for RVSF

The State Government/ Union Territory Governments shall take into account the eligibility criteria specified below when granting authorization to any RVSF making an application under clause 6:

- a. The RVSF may be owned and operated by any legal entity, be it a person, firm, society or trust established in accordance with the applicable laws.
- b. The entity must possess the following documents: -
 - (i) Certificate of Incorporation
 - (ii) Valid GST registration
 - (iii) Valid PAN
- c. Additionally, the entity: -
 - (i) Should have applied for or be in possession of an approval for consent to establish from the competent authority of the State or Union Territory Government in which the RVSF is intended to be located.
 - (ii) Shall undertake to meet the minimum technical requirement for collection and dismantling centres as per Central Pollution Control Board Guidelines.
 - (iii) Should have competent manpower and appropriate equipment to carry out the depollution and dismantling activities in a safe and environmentally responsible manner.
 - (iv) Shall undertake to obtain the required quality certifications of ISO 9001(quality management system)/ISO 14001(environmental certification)/ISO 45001 (occupational health and safety) within 12 months of commencement of operations.
 - (v) Should possess, or provide an undertaking to obtain, a consent to operate from State Pollution Control Board, within a period of six months from commencement of operations
 - (vi) Should Undertake to abide by the Provisions of all applicable Labour codes and all other Acts/Rules as applicable.
 - (vii) Shall provide evidence of availability of an adequate useable area of land in the Orange category industrial zone of the State/UT by way of ownership or agreement to sell or agreement for lease of a minimum period of three years.
 - (viii) Should be in possession of necessary cyber security certifications as per clause 4 (2).
 - (ix) Should provide approved plant layout and the building plan.

6. Registration Procedure for RVSF

(1) An applicant may make an application in the prescribed Form-1, or any other form as may be prescribed by the designated Registration Authority of the State or Union Territory Government, addressed to the

- 'Registration Authority' of the concerned State or Union Territory Government where the RVSF is intended to be located along with:
- (i) A Processing Fee of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) for each RVSF proposed to be established, or such fee as may be prescribed by the State or Union Territory Government for this purpose.
- (ii) An Earnest Money Deposit by way of a bank guarantee of Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs) each RVSF proposed to be established, in favour of the designated Registration Authority or designated officer as notified by the State or Union Territory Government as a non-interest-bearing Security deposit for a period, co-terminus with the validity of the initial authorization period, plus 90 days.
- (2) All applications for grant of registration are to be disposed of by the Registration Authority within a period of 60 days from the date of application.
- (3) Applicants that are accepted are to be issued a Registration Certificate in Form-1A, or such other form as prescribed by the State or Union Territory Government for this purpose.
- (4) Applicants whose applications are rejected shall be refunded their Earnest Money/Bank Guarantee, however, the processing fee will not be refunded.
- (5) The State or Union Territory Government may notify additional eligibility requirements for the facility to ensure sustainability, adequate capacity and environment protection.
- (6) The Government of India will develop a portal for Single Window Clearance on which the applicant will apply with all necessary documents and required fee for registration. States or Union Territory Government would clear the proposal in time bound manner within 60 days including the internal approval from various State agencies (Labour, Pollution etc.) after submitting such application else the proposal would be deemed approved. Such portal shall be operationalized within 6-months from the date of notification of these rules.
- (7) After the operationalization of the portal referred to in clause 6, all subsequent approvals etc. should be granted through the portal and reports regarding the inspection and audit of RVSF should be made available on the portal. The necessary approvals by the State Pollution Control Board, Labour Department and any other department deemed necessary for the establishing/operation of such RVSF must be provided through that portal only.
- (8) The State or Union Territory Government must also publish a Citizen's Charter with respect to the functioning of the portal and grant of approvals on such portal. The process should be made transparent and seamless and all the notifications, guidelines, forms, etc. are made available on the portal established in clause 6, and the applications are electronically made and disposed-off in time-bound manner.

7. Validity and renewal of Registration

- (1) The Registration issued under Clause 6 shall be valid for an initial period of 10 years, which shall be renewable for another 10 years at a time, subject to the condition that the Registered Scrapper has not been in default of these provisions or applicable Laws and Acts as specified in Clause 14.
- (2) Application for renewal shall be in Form-1, or in any other form as may be prescribed by the State or Union Territory Government. The application shall carry such renewal fee and security deposit as may be specified by the State or Union Territory Government for this purpose.
- (3) The renewal of registration shall be issued as per Form-1A.
- (4) The registration issued under this rule shall not be transferable.

8. Criteria for Scrapping of Vehicles

The following vehicles may be offered for scrapping to the Registered Scrapper:

- (i) Vehicles which have not renewed their Certificate of Registration in accordance with Rule 52 of the CMVR, 1989.
- (ii) Vehicles which have not been granted a certificate of fitness in accordance with Section 62 of the Motor Vehicles Act, 1988.
- (iii) Vehicles which have been damaged due to fire, riot, natural disaster, accident or any calamity, following which the registered owner self certifies the same as scrap.
- (iv) Vehicles that have been declared obsolete or surplus or beyond economic repair by the Central/State Organizations of the government and have been offered for scrapping.

- (v) Vehicles bought by any agency including RVSF in an auction for scrapping the vehicles.
- (vi) Vehicles which have outlived their utility or application particularly for projects in mining, highways, power, farms etc. as may be self-certified by the owner.
- (vii) Manufacturing rejects and test vehicles as may be certified by the Vehicle OEM.
- (viii) Auctioned, impounded and abandoned vehicles by any Enforcement Agency.

9. Right to Inspection

- (1) In order to ensure compliance of the provisions in this Chapter, the Registered Scrapper should keep in the RVSF, the records regarding the transaction of vehicles and scrap generation and its responsible disposal to authorized recyclers, and all the machinery, equipment and apparatus in the RVSF premises, ready for inspection by the Registration Authority or Designated Officer of the State or Union Territory Government.
- (2) Physical Inspection and Site visits should only be carried out:
 - i. When a report of non-compliance by the appropriate authority or a public complaint has been received by the Registration Authority in respect of the Registered Scrapper.
 - ii. Such complaint has been forwarded to the Registered Scrapper to file a written response within 3 working days.
 - iii. The response has been scrutinized and an opportunity has been provided to the Registered Scrapper to provide further clarifications within three working days.
 - iv. The response and clarifications provided are inadequate in the opinion of the Registration Authority, and a site inspection is warranted.
 - v. Such site visit should be duly authorized by the Registration Authority or the Designated Officer in the State or Union Territory Government.
- (3) The Report of the Inspection Team is to be submitted to the Registration Authority or Designated Officer for further processing and a copy of the same provided to the Registered Scrapper.
- (4) The Registration Authority may after providing an opportunity to the Registered Scrapper of being heard, pass a speaking order to cancel or suspend the authorization for the facility.

Provided that the violations noticed in respect of Guidelines of CPCB shall be reported to the concerned Pollution Control Board for necessary action. The registration would remain suspended during the period while the requisite licences/NOC/Authorizations for the facility have been withdrawn or suspended by any other authority under the law.

10. Scrapping Procedure

- (1) The scrapping of vehicles shall be carried out by a Registered Scrapper by following the procedure outlined as mentioned below in respect of all ELVs, except impounded/ abandoned vehicles.
- (2) The registered owner or the authorized representative shall hand over the vehicle together with an Application as per Form-2 in two originals to the Registered Scrapper or the designated collection centre for deposit/treatment of the vehicle.
- (3) If the vehicle does not have a valid registration, then the Registered Scrapper or its designated centre, shall match the identity of the registered owner as per the VAHAN database with the person handing over the vehicle and receive the vehicle and issue a receipt through digital platform linked to VAHAN database.
- (4) Vehicles impounded by an Enforcement Agency shall be handed over to the Registered Scrapper as per procedure duly prescribed by the State or Union Territory Government.
- (5) It would be obligatory on the part of the RVSF to verify the records of the vehicles produced for scrapping with the database of the stolen vehicles, held by NCRB as well with the local Police, before scrapping a vehicle.
- (6) The Registered Scrapper shall require, along the Form-2, the following applicable original documents from the owner or the authorized representative:
 - i. Original Certificate of Registration.
 - ii. Authorization from the registered owner.

- iii. In case of inheritance, the death certificate of the registered owner accompanied with any proof of succession
- iv. Certificate or order confirming the sale of the vehicle in a public auction in his favour duly signed by the person authorized to conduct the auction.
- v. An undertaking from the owner/representative, indicating that vehicle has no pending criminal record or litigation.
- (7) It shall be verified that the hire-purchase, lease or hypothecation agreement in the certificate of registration of a motor vehicle required under sub-section (2) of section 51 of the Act has been duly discharged.
- (8) The Registered Scrapper shall accept self-certified copies from the owner or through authorized representative of the following documents:
 - i. Copy of the PAN Card of the owner,
 - ii. Crossed cheque of the bank account of the owner.
 - iii. Identity Proof of the authorized representative (if applicable) such as Passport, Voter Card, Aadhar Card, Driving Licence, Photo Identity card issued by the State/Central Government Organizations.
 - iv. Address Proof of the owner such as Electricity Bill, Water Bill, Land Line Telephone Bill, piped cooking gas bill etc.
 - v. Digital photograph of the owner or authorized representative physically handing over the ELV to the Registered Scrapper, or a photograph of the owner/representative duly pasted in Form-2 and countersigned by the owner/representative.
- (9) The Registered Scrapper will return the second Form-2, duly receipted, to the owner or his authorized representative and issue the Certificate of Deposit as evidence of transfer of ownership of the vehicle.
- (10) The RVSF established in a State can accept and scrap the vehicles registered in any of the State/UTs under the jurisdiction of any Registering authority. The whole process shall be smooth linked with VAHAN and on PAN India basis irrespective of the location of any vehicle registering authority.
- (11) The 'Certificate of Deposit' will be a necessary and sufficient document for the owner to avail incentives and benefits for purchase of a new vehicle as may be promulgated from time to time.
- (12) The Certificate of Deposit will be tradeable and once utilized will be stamped as "Cancelled" by the agency providing the benefits to the holder of the said certificate. Matching entries in this regard shall also be made by the RVSF on VAHAN Portal.
- (13) The Registered Scrapper shall digitally remit or pay by an account payee cheque, the agreed consideration for the vehicle and obtain a receipt for the same from the owner or his authorized representative for record.
- (14) Safe-custody of cut piece of the Chassis Number for a period of six months from the date of issue of 'Certificate of Vehicle Scrapping' as per Clause 11 will be the responsibility of the Registered Scrapper.
- (15) The Registered Scrapper shall maintain a physical and computerized scanned copy of all documents, digitally certified by the Registration Officer or Designated Officer of the RVSF for record and examination during inspection, for a period as required by the Companies Act, 2013, as amended from time to time.
- (16) The Registered Scrapper shall ensure that removal / re-cycle or disposal of hazardous parts of the scrapped vehicle is done as per extant guidelines.
- (17) Vehicles will not be scrapped until the fuel, oil, antifreeze, and other gases, fluids etc. are drained and collected in certified standard containers.
- (18) A yearly report on vehicles scrapped shall be furnished in Form-3 or as prescribed by the Transport Department of the State or Union Territory Government.

11. Certificate of Vehicle Scrapping

- (1) The Registered Scrapper, after completing the necessary treatment, will issue a Digital 'Certificate of Vehicle Scrapping', including a digital photograph of the cut out of the Chassis, in Form-4 to update the National Register, VAHAN Database and inform the competent authority of the State or Union Territory Government for updating of records.
- (2) A separate record of the scrapped vehicles would be maintained on the VAHAN database by the Central Government.

(3) The reuse/resale of any of the parts of an ELV including engines or any refurbished part, obtained from the scrapped vehicle shall be in accordance with the policy/guidelines/standards issued from time to time as applicable.

12. Installation of CCTV Cameras

- (1) The Registered Scrapper shall install CCTV cameras at the scrapping yard, in the customer and vehicle reception area. The record of scrapping should be saved in the Registered Scrapper's IT system for a period of three calendar months.
- (2) The access to the CCTV cameras installed in the facility may be provided to the authorized agencies as may be decided by the State or Union Territory Government.

13. Scrapping Yard

- (1) In view of the large size and voluminous nature of the scraps to be handled, the dismantling facility should be set up in a large area having adequate space for vehicular movement, as well as storage for the Vehicles/products received and recyclable material recovered.
- (2) It should fulfil the criteria of an adequate gated area to handle, depollute and dismantle ELVs, white goods and other scraps along with facility for measuring radiation as is followed for import of scrap. RVSF shall require material handling machines to minimize human intervention and create safe work places.
- (3) To ensure that safe operating practices are followed, collection centres are expected to follow Occupational Health and Safety Standards, ISO 45001 (OHSAS). All collection centres shall engage competent and trained manpower to process the End of Life vehicles, goods and other scraps.
- (4) The collection centres should have dry areas (free from water logging), impermeable surfaces like asphalt/concrete flooring, asphalt/concrete roads, adequate workshop facilities for in-house maintenance, fire protection systems etc. to maintain safe work places and all other required measures for keeping pollution under control.
- (5) The collection centres shall be equipped with a depollution system, preferably with zero discharge system, and dismantling work shall be done by making use of best available technology for processing the end of life vehicles, goods and other scraps.
- (6) The collection centres shall comply with relevant health and safety legislation/regulation and environmental norms as laid down by MoEF&CC, CPCB/SPCB for such operations and Hazardous & Other Wastes (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
- (7) The Scrapping yard should have
 - a. Suitable earmarked area for parking of waste vehicles on non-permeable concrete or epoxy coated flooring with adequate drainage facility. No waste or potentially waste vehicle is to be parked on roads or public spaces even during processing of applications for deposit and to be accommodated within the premises of the RVSF only.
 - b. Certified de-polluting equipment to ensure zero leakage of pollutants during draining of fuels/fluids/gases and liquids, Certified de-risking equipment for safe neutralization/removal of airbags, pre- tensioner etc., appropriate dismantling equipment for the activities defined (such as de-risking, de-polluting, dismantling, shredding, shearing, bailing etc.), designated areas for storing the segregated scrap, adequate space for storage and handling of segregated spares, designated space for temporary storage of automotive hazardous waste such as tyres, batteries, fuel, oils, liquids and gases, Suitable safety and occupational health equipment, material handling equipment for the safe transportation of spares, scrape etc.
 - c. Appropriate Industrial grade lighting and ventilation systems, conformity to noise pollution norms and appropriate effluent treatment plants or water recycling plants.
- (8) These Scrapping yards should preferably accredit their centres/units with the latest version of quality standards viz. ISO 9001 (Quality management system), ISO14001 (Environmental Management System) and ISO 45001 (Occupational health and safety) within 12 months of commencement of operations.
- (9) In case the RVSF do not have adequate capability/provisions for responsible recycling of hazardous waste (like e-waste, lead acid batteries, lithium ion components, or for recovery of rare earth metals, etc.), or for recycling of scrap material which is outside its scope, then such materials are to be sold to duly authorized recyclers/agencies, who have adequate capability and licence. A record of the transactions shall be

maintained, clearly stating the volumes off-loaded and the name, authorization number, PAN, GST and other commercial details of the authorized recycler/agency. Such records shall be subjected to periodical audit.

14. Applicable Act /Rules

In addition to the laws in force in India, the provisions of the following Act/ Rules are applicable to these rules: -

- i. The Motor Vehicle Act, 1988.
- ii. The Central Motor Vehicles Rules, 1989.
- iii. Various State and UT Motor Vehicles Rules, 1993
- iv. The Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary movement) Rules, 2008 as amended from time to time.
- v. The Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000.
- vi. The Batteries (Management and handling) Rules, 2011 as amended in 2016.
- vii. The Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011 as amended in 2016.
- viii. The e-waste (Management and Handling) Rules 2016.

15. Audits and Certifications

- (1) The RVSF will be audited by the competent authority for compliance with this Chapter.
- (2) On behalf of the competent authority, any of the agencies specified under Rule 126 of the CMVR or the Material Recycling Industry Associations (MRAI) or the Automotive Research Association of India (ARAI) or Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), such list as modified by MoRTH from time to time, may undertake
 - a. Regulatory and Compliance Audit, and
 - b. Audit of the Mass Flow Statement filed in the Annual Returns by the RVSF as may be notified by the State or Union Territory Government.
- (3) The Audit Report shall be uploaded on the VAHAN portal by the Audit agency annually for a financial year or part thereof and shall be submitted by 31st May (within two months of completion of financial year) of that financial year.
- (4) The Audit Report shall also grade and evaluate the RVSF in terms of their performance and adherence to occupational health and safety compliances, regulatory, business, environment and labour standards and the respective recycling rates basis, the mass flow information, achieved by the Registered Scrapper.
- (5) Observations of non-compliance as reported in the Audit Report should be resolved by the Registered Scrapper within two months of issue of the Audit Report which may be extended by a maximum of onemonth days at the discretion of the competent authority.
- (6) Certifications are to be revalidated at least 3 months before their expiry.

16. Appeal

- (1) Any person aggrieved by an order of the Registration Authority of the State or Union Territory Government for forfeiture of security or issuance of cancellation of the registration, may within thirty days of the date of receipt of such order appeal to the designated authority of the State or Union Territory Government or the Commissioner/Secretary (Transport).
- (2) The appeal shall be preferred in a plain application format, or, as may be prescribed by the Designated Authority of the State or Union Territory Government, setting forth the grounds of objections to the order of the Registration Authority and shall be accompanied by a certified copy of the order appealed against and fee of Rs 10,000/- (Rupees Ten Thousand only).
- (3) It should be the endeavor of the Designated Authority to dispose the appeal within 14 working days of its rendition.

FORM- 1

[Refer Clause 6(1)]

APPLICATION FOR REGISTERED VEHICLE SCRAPPING FACILITY (RVSF)

						KAFFING FA			
		Applica	ation for			P	lease tick a	s applicab	le
Reg	istration for a new	RVSF							
Ren	ewal of Registrati	on for existing	g RVSF						
Mod	dification in existi	ng registration	1						
1 17	OR OFFICE US	F							
1. 1	OK OFFICE US	<u> </u>							
API	PLICATION NO								
API DA	PLICATION TE								
DA	ГЕ								
FEE	3								
SEC	CURITY								
DEI	POSIT								
2. <u>G</u>	SENERAL INFO	RMATION							
I	Name								
ii	Address								
iii	Tel								
iv	FAX								
v	Email								
vi	CIN								
vii	PAN								
viii	GST								
ix	Status	Company	Firm	Trust	Society	Proprietor	Govt	JV	PPP
X	Attach	MoA					AoA		
xi	Existing Activit	ies of the Con	npany						
	(National Indus	trial Classifica	ntion Code)						
3. <u>P</u>	LANT DETAILS	<u>S</u>							
a	Location (Provid	le Map)							
b	Area (sq m)	1/							
С	Possession Detai	ils	Owned		Lease/Pe	eriod	Years		
d	State				•				
e	District								

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 33

4. Proposed Activities of the	L Vehicles	Yes	No	Capacity	Nos
<u>Company</u>	M Vehicles	Yes	No	Capacity	Nos
	N Vehicles	Yes	No	Capacity	Nos
	Other	Yes	No	Capacity	Nos
5. Proposed Capital Structure	Authorised				
(INR lacs)	Subscribed				
	Paid-Up				
6. Proposed No of Employees					

7. Availability of Space

	T	
a	Plant Design and Layout, showing following spaces and areas (sqm):-	
b	Earmarked area for the safe and environmentally compliant parking of waste vehicles (sqm)	
С	Designated areas for storing the segregated scrap (sqm)	
d	Space for processed scrap and usable parts (sqm)	
e	Designated space for temporary storage of automotive hazardous waste (sqm)	
f	Provision of space for parking of safe transportation of spares, scrap and waste products (sqm)	

8. Availability of Equipment

a	Certified de-polluting equipment	Yes	No
b	Certified de-risking equipment	Yes	No
c	Safety and occupational health equipment	Yes	No
10	Security certifications for the IT Systems for safe access to VAHAN database	Yes	No

11. Environmental Clearance

a	Consent to Establish	

b	Consent to Operate	
	·	
12.	Application No for VAHAN Database	

13. Undertaking

	The	e Applicant hereby undertakes to		
a		mply with CPCB Guidelines for the Safe Disposal of apped vehicles	Yes	No
b	Obt	tain the Quality Certifications within 12 Months of Iss	ue of Registration	
	i	ISO 9001	Yes	No
	ii	ISO 14001	Yes	No
	iii	ISO 45001	Yes	No
c	Cor (20	mply with the Hazardous Waste Management Rules 16)	Yes	No

Authorised Signatory			
Date	(Company Seal)
	•		

FORM-1A

[Refer Clause 6(3)]

APPROVAL FOR SETTING UP OF

REGISTERED VEHICLE SCRAPPING FACILITY (RVSF)

The Registration Authority has approved the issue of Registration for setting up of Registered Vehicle Scrapping Facility as per details below:

1.	APPLICANT						
2.	LOCATION						
3.	APPLICATION NO						
4.	APPLICATION DATE						
5.	APPROVAL	YES		NO		RESUBMIT	
6.	CATEGORY	L Vehicles	Yes	No	Annual Capacity		Nos
		M Vehicles	Yes	No	Annual Capacity		Nos
		N Vehicles	Yes	No	Annual Capacity		Nos
		Others	Yes	No	Annual Capacity		Nos
7.	REGISTRATION NUMBER						

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 35

						Т	1	1
8.	VA	ALIDITY	FROM			TO		
9.	PR	OCESSING FEE	AMOUNT					
10.		CURITY EPOSIT	AMOUNT					
11.		NK JARANTEE	AMOUNT		Date		Validity	
12.	CC	ONDITIONS						
	a	Registration is Non	-Transferable					
	b	Undertaking are to	be liquidated by	•	Date			
	c	Submit Compliance	e Self-Certificati	on by	Date			
	d	Facility Inspection	Due		Date			
	e	First Test Audit Du	ie		Date			

Note: The Registration is Non-Transferable

Registration Authority

Stamp

Date

FORM – 2 (Refer Clause 10(2))

COMPOSITE APPLICATION FOR SCRAPPING AND CERTIFICATE OF VEHICLE DEPOSIT

1.	OW	VNEF	R DETAILS		
	Α	NA	ME		
	В	AD	DRESS		
	С	МО	OBILE NO		
	D	ΕM	1AIL		
	Е	PAl	N		
	F	BA	NK ACCOUNT		
		i	NAME OF BANK		
		ii	BRANCH		
		iii	ACCOUNT NUMBER		
		iv	IFSC		
		v	CROSSED CHEQUE		
		vi	CONSIDERATION RECEIVED (Rs)		
		vii	INVOICE NO AND DATE		
	G	PHO	OTOGRAPH	ATTACHED	

2.	VE	HICLE DETAILS	
	REC	GISTRATION NO	
	MA	KE	
	МО	DEL	
	CH	ASSIS NO	
	ENG	GINE NO	
	МО	NTH/YEAR OF MANUFACTURE	
3.	DO	CUMENT	
	A	Original Certificate of Registration.	
	В	Copy of Fitness Certificate following which the vehicle has been declared unfit for use, if applicable.	
	C	Authorization from the registered owner	
	D	In case of Inheritance, the death certificate of the registered owner accompanied with any proof of succession	
	Е	Certificate or order confirming the sale of the vehicle in a public auction	
4.	CE	RTIFICATION BY APPLICANT	
	dec not	lare that all the particulars furnished by m	Resident of
DA	TE:		SIGNATURE:
PL	ACE:		
5.	CEI	RTIFICATE OF DEPOSIT	
	No and No. 2. V	the agreed consideration of Rs	has been accepted at our Facility vide our Inward n accordance with Chapter VA for the Disposal of Vehicleshas been paid to the owner vide our Payment Voucher Freatment the National Register, VAHAN Database and the updating of records.
DA	TE:		SIGNATURE:
PLA	ACE:		STAMP:
			RVSF No

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 37

		VALUETTY	ļ
		VALIDITY	
	0	С 1 и 11 1	
	On	Company Letter Head	
DECEN		XIA LIDIOXI	
RVSF No.		VALIDITY	

FORM- 3

			FORM- 3		
		-	Refer Clause 10(17)]		
		ANNUAL RETUR	N FOR FINANCIAL	YEAR 20 -20	
1.	NAN	ME			
	REC	GISTRATION NUMBER			
	VAI	LIDITY			
2.	CAF	PACITY UTILISATION (NOS)	T	T	T
	A	DEREGISTRATION	COMPLETED (1)	IN PROCESS (2)	TOTAL (1+2)
	i	L VEHS			
	ii	M VEHS			
	iii	N VEHS			
	iv	OTHERS			
	v	TOTAL(A)			
	В	TREATMENT	AUTHORISED	UTILISED (2)	% UTILISATION
			(1)		(1/2*100)
	i	L VEHS			
	ii	M VEHS			
	iii	N VEHS			
	iv	OTHERS			
	v	TOTAL(B)			
3.	MA	SS FLOW			KGS
	A	INWARDS			
	i	L VEHS			
	ii	M VEHS			
	iii	N VEHS			
	iv	OTHERS			
	v	GRAND TOTAL (i+ii+iii+iv =A)			
	•				
	В	OUTWARDS			
	i	FERROUS			
	ii	ALUMINIUM			
	iii	COPPER			

	iv	PLASTICS			
	v	GLASS			
	vi	TYRES			
	vii	OTHERS			
	viii	SUB-TOTAL (i)			
	C	HAZARDOUS WASTE FOR REPROC	CESSING		
	i	FUEL			
	ii	OILS			
	iii	GASES			
	iv	BATTERIES			
	v	FLUIDS			
	vi	SUB-TOTAL (ii)			
	D	HAZARDOUS WASTE TO LANDFILL			
	i	RESIDUES RETAINED			
	ii	LANDFILL			
	iii	SUB-TOTAL (iii)			
	Е	GRAND TOTAL (i+ii+iii =B)			
	F	MASS BALANCE(A-B)			
4.	QUA	ALITY CERTIFICATIONS STATUS		VALIDITY	REMARKS
	A	ISO 9001			
	В	ISO 14001			
	С	ISO 45001			
5.	AUI	DIT	,		
	A	AGENCY			
	В	DATE			T
	C	RESULT	PASS	FAIL	RESUBMIT
				T	
6.	SAF	ЕТҮ		Nos	REMARKS
	A	ACCIDENTS			
	В	INCIDENTS			

7		I																						,		,													,														
D	E	3	S	I	C	ì	\	Ţ.	F	١	,	I	7	I	()	1	\	J																																		

hereby certify that the data submitted above is a true and accurate reflection of the activities of the company for the financial year 20 -20 .

Signature

Place



FORM-4

[Refer Clause 11(1)]

CERTIFICATE OF VEHICLE SCRAPPING

1.	CE	RTIFICATE NUMBER:		
2.	DA	TE:		
3.				with us vide our Certificate of Deposit according to the Annexure I of CMVR.
4.	VE	HICLES DETAILS		
	a	Registration Number		
	b	Make		
	c	Model		
	d	Month/Year of Manufacture	MM	YY
	e	Chassis Number	(Cut Out Picture
	f	Engine Number	I	Blanked Picture
5.	OW	NER DETAILS	1	
	a	Name		
	b	ID Proof Details		
	с	Address		
	d	Address Proof Details submitted		
6.	Vie	w foregoing it is requested that the r	ecords in respect of above-r	mentioned vehicle may be updated.

Date:	Authorized Signatory	Company Seal
Place:		Date

[F. No. RT-23013/1/2018-T] AMIT VARADAN, Jt. Secy.